फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली कैम्प कोर्ट सोजत

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. रूपचन्द पुत्र चनामल मूलचन्दानी निवासी सोजत		तहसीलदार सोजत

किस्म मुकदमा :: राजस्व अपील संख्या 184/2018
(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2018/00357)
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2018	अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलांट ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आज राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प सोजत मे पेश की जो दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल हो। उभय पक्ष को मजमें आम मे सुना गया। अपीलाण्ट ने जाहिर किया की सरहद मौजा सोजत चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 3573/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि है जो अपीलाण्ट द्वारा खातेदार दुर्गेशकंवर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की। जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया है। जिसमे पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के पिता का नाम विलोपित कर दिया है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर तहरीर हुए राजस्व रेकर्ड मे यह प्रविष्टि बदस्तूर रही है। जो अनुचित है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण अपास्त करावें तथा बेचाण दस्तावेज के आधार पर पुनः नामान्तरकरण दायर करवाने का आदेश प्रदान करावें। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस मे कथन किया की यदि अपीलाण्ट द्वारा चाही गयी दादरसी प्रदान की जाती है। तो राज्य को कोई आपत्ति नही है। पत्रावाली का अवलोकन किया गया। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट श्री रूपचन्द पुत्र श्री चणामलजी मुलचन्दानी की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है, इस तथ्य की ताईद रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.11.2010 से होती है। इस बेचाण दस्तावेज के आधार पर जैर अपीन नामान्तरकरण दायर किया गया है। जिसके कॉलम संख्या 09 में अपीलाण्ट के नाम के आगे सकुनत में अपीलाण्ट के पिता के नाम के स्थान पर उसकी जाति अंकित कर दी है। जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार के नामान्तरकरण को कायन रखना न्यायोचित नही है। परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सोजत चक I के नामान्तरकरण संख्या 3039 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 24.01.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज संख्या 2010003491 दिनांक 12.11.2010 के अनुक्रम में प्रकरण का परीक्षण कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली बाद पालना फैसल मे शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सोजत मे सरे इजलास सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली	